भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 29
सोमवार, 21 जुलाई, 2025 (30 आषाढ़, 1947, (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

पहलगाम में आतंकवादी हमले का यात्री हवाई किरायों पर असर

29. श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद, एयरलाइनों ने यात्री हवाई किराए में काफी वृद्धि की है;
(ख) 22 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 के बीच के हवाई किराए का ब्यौरा क्या है; और
(ग) मार्च 2024 और अप्रैल 2025 के दौरान इन्ही क्षेत्रों के लिए अधिकतम और न्यूनतम हवाई किराए का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): पहलगाम हमले की दुखद घटना के पश्चात, बड़े पैमाने पर जम्मू-कश्मीर से पर्यटकों के पलायन की आशंका थी, जिसके कारण सामान्य स्थिति में हवाई किराए में वृद्धि हो जाती। तदनुसार, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सभी एयरलाइनों और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों को परामर्शिकाएं जारी की हैं। ये निर्देश श्रीनगर से पूरे भारत के विभिन्न स्थानों तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए निर्बाध संपर्क की गारंटी देने, हवाई किराए का सुस्पष्ट और पारदर्शी प्रदर्शन सुनिश्चित करने तथा फंसे हुए पर्यटकों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किए गए थे। एयरलाइनों से किराए में वृद्धि (सर्ज प्राइसिंग) से बचने का भी आग्रह किया गया है, और इस उद्देश्य के लिए एयरलाइनों को दो प्रमुख सेक्टरों, अर्थात् श्रीनगर-दिल्ली (10,000 से कम) और श्रीनगर-मुंबई (13000 से कम) के लिए हवाई किराए की सीमा निर्धारित करने का

निर्देश दिया गया है। इस सीमा का उल्लंघन करने वाली किसी भी एयरलाइन के विरुद्ध विनियामक कार्रवाई की जाएगी।

अनेक यात्रियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को समझते हुए, एयरलाइनों ने रद्दकरण और पुनर्निर्धारण शुल्क माफ करके यात्री बोझ को कम करने के लिए तत्परता से कार्य किया है। सक्रिय कार्रवाई करते हुए न केवल श्रीनगर से/श्रीनगर के लिए उड़ानों की संख्या दिनांक 22/04/25

को 51 से बढ़ाकर दिनांक 23/04/25 को 56 कर दी गई, बल्कि कीमतों को भी नियंत्रण में रखा गया। इन हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप, श्रीनगर से हवाई किराए में उल्लेखनीय कमी देखी गई है और यह सुनिश्चित करने में सहायता मिली है कि श्रीनगर में फंसे पर्यटक सुरक्षित रूप से घर लौट सकें। दिनांक 21 अप्रैल को श्रीनगर से दिल्ली की उड़ान का किराया 20,000 रुपये से अधिक था, जो दिनांक 24 अप्रैल तक घटकर 10,000 रुपये से भी कम हो गया। इसके अलावा, श्रीनगर-दिल्ली सेक्टर की निगरानी डीजीसीए द्वारा की जा रही है और विमान किराए के संबंध में एकत्र आंकड़ों के आधार पर तथा अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 के दौरान इस सेक्टर के लिए एयरलाइनों द्वारा पेश किया गया अधिकतम विमान किराया क्रमशः ₹21,949 और ₹29,054 था, जबकि न्यूनतम विमान किराया क्रमशः ₹5,210 और ₹4,854 था।

हवाई किरायों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 का अनुपालन करते हुए एयरलाइनें अपनी परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर हवाई किराए का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि सरकार समान्यतः बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित करने से बचती है, परंतु वह सतर्क रहती है, और यात्रियों की सुविधा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक मूल्य निर्धारण को रोकने हेतु एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में क्षमता स्थानांतरित करने के लिए हस्तक्षेप करती है।

भारतीय विमानन उद्योग की जटिल गतिशीलता के दृष्टिगत, सरकार इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्षमकारी वातावरण का सृजन करके एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभा रही है।

******